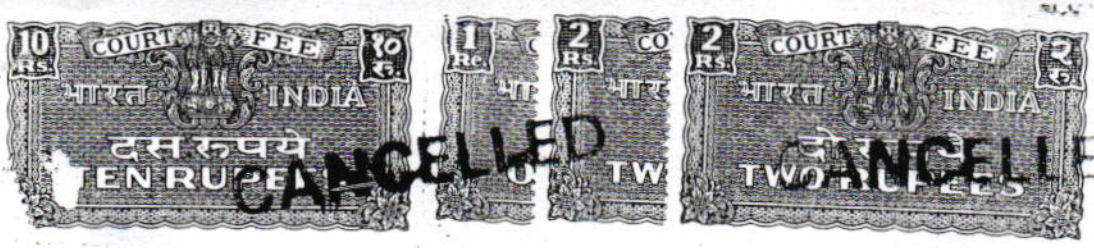

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED
COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES CANCELLED

177

समक्ष न्यायालय- श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक:----------/2002

R- 2274- IV/2002

(1) सुरेश कोचर आत्मज श्री खुशालचंद कोचर
निवासी-वार्ड नं0- 20 बालाघाट (म.प्र.)

(2) पी.एल. पुछिया आत्मज स्व0 गेंदलाल पुछिया
निवासी- वार्ड नं0- 5 बालाघाट (म.प्र.)

(3) अभय सेठिया आत्मज श्री तुलसीराम सेठिया
निवासी- वार्ड नं0- 20 मेनरोड बालाघाट

(4) देवराम बरवे निवासी- वार्ड नं0- 6 बालाघाट

(5) ओंकार पटेल आत्मज श्री मोहनलाल पटेल
निवासी- वार्ड नं0- 16 बालाघाट:----------पुनरीक्षणकर्तागण
गैर अपीलार्थीगण

विरुद्ध

(1) मेसर्स ऋषभ डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, बालाघाट
द्वारा- भागीदार गण:
(1) श्री महेन्द्र कुमार सुराना आत्मज श्री धनराज सुराना
(2) श्री पूरन कुमार अडवानी आत्मज श्री जेठानंद अडवानी
(3) डा0 ऋषभ जैन आत्मज श्री मोतीलाल जैन
सभी निवासी-बालाघाट जिला-बालाघाट:-----प्रत्यर्थीगण
अपीलार्थीगण

(2) म0 प्र0 शासन
द्वारा- कलेक्टर बालाघाट (म.प्र.)

(3) नगर पालिका बालाघाट (म.प्र.)
द्वारा- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बालाघाट:------प्रत्यर्थीगण
पुनरीक्षण
गैर अपीलार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व -संहिता

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2274–चार/02 जिला – बालाघाट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-8-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 19/अ–2/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 29–5–2002 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया कि उनके द्वारा ग्राम बालाघाट की भूमि खसरा नं. 319/53 रकबा 0.809 हैक्टर को वर्ष 1997–98 में विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है । उक्त भूमि पर कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु निर्माण की अनुमति तथा भू–राजस्व का निर्धारण किया जाये । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24–6–99 द्वारा आवेदन अस्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर के अपील की जो उन्होंने निरस्त की । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ प्रकरण में आवेदक की ओर से लिखित बहस पेश की गई है । अनादेदक की ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई	

नि०प्र० 2274-IV/02 (बालाघाट)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषक के हस्ताक्षर

है ।

4/ अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक की ओर से प्रसलिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के आधार कय किए जाने के समक्ष विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अवधि बाह्य अपील पेश की गई जिसके साथ धारा 5 अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी पेश किया गया अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण गुणदोष के आधार पर निराकृत किये जाने हेतु ग्राह्य किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है ।

3/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण भूमि के व्यपवर्तन का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि विवादित भूमि के विभिन्न–विभिन्न भाग पर विभिन्न–विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए परिवर्तित कर लिया गया है इसी प्रकार विवादित भूमि के आवास के क्षेत्र में पूर्व में भी वकानों का निम्रण किया है जिस पर नगर पालिका परिषद बालाघाट तथा अन्य संस्थाओं ने कोई आपत्ति नहीं की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्व मंडल द्वारा निगरानी प्र0क0 1197–एक/2001 जिसमें पक्षकार एवं विवाद बिंदु एक समान हैं बालाघाट नगर के वाजिब–उल–अर्ज में दर्ज प्रविष्टि को अवैध तथा निष्प्रभावी ठहराया गया है तथा निरस्त कर

पक्षकारों अभिभाषक के हस्ताक्षर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2274–चार/02 जिला – बालाघाट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिया गया है । उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का मौका देकर तथा स्थल निरीक्षण कर प्रकरण में नियमानुसार विधिसम्मत आदेश पारित करें । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख के अनुकूल है और उसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । प्रकरण का निराकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाना है जहां आवेदकों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त होगा । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	